भारत सरकार
रेल मंत्रालय

लोक सभा
04.12.2024 के
अतारांकित प्रश्न सं. 1549 का उत्तर

उत्तराखंड में समपार

1549. श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह:

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में मानवरहित समपार की संख्या कितनी है;
(ख) सरकार द्वारा देश में विशेषकर उत्तराखंड में समपार को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) ऐसे कार्यों की स्वीकृति के लिए क्या मानदंड हैं, आवंटित धनराशि क्या है तथा कार्य की प्रगति में तेजी लाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और
(घ) सब-वे में जलभराव की समस्या को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

रेल, सूचना और प्रसारण एवं इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री

(श्री अश्विनी वैष्णव)

(क) से (घ): विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

****

S.K

उत्तराखंड में समपार के संबंध में दिनांक 04.12.2024 को लोक सभा में श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह के अतारांकित प्रश्न सं. 1549 के भाग (क) से (घ) के उत्तर से संबंधित विवरण।

(क) से (घ): उत्तराखंड राज्य सहित भारतीय रेल के बड़ी लाइन नेटवर्क की सभी चालित लाइनों पर सभी बिना चौकीदार वाले समपारों को 31.01.2019 तक समाप्त कर दिया गया है।

भारतीय रेल में बड़ी लाइन पर 17083 अदद चौकीदार वाले समपार हैं जिसमें उत्तराखंड राज्य के 149 अदद समपार शामिल हैं।

समपारों के स्थान पर ऊपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण कार्यों को स्वीकृत करना भारतीय रेल में एक सतत् और गतिशील प्रक्रिया है। ऐसे कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है और रेलगाड़ी परिचालन में संरक्षा, रेलगाड़ियों की गतिशीलता एवं सड़क उपयोगकर्ताओं पर इसके प्रभाव तथा व्यवहार्यता आदि के आधार पर शुरू किया जाता है।

2004-14 की तुलना में 2014-24 के दौरान, भारतीय रेल में निर्मित ऊपरी/निचले सड़क पुलों की संख्या निम्नानुसार है:

अवधि	निर्मित ऊपरी/निचले सड़क पुलों की संख्या
2004-14	4148
2014-24	11945

01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, भारतीय रेल में ₹92692 करोड़ की लागत से 4200 अदद ऊपरी/निचले सड़क पुलों को स्वीकृत किया गया है, जो योजना और निष्पादन

S.K

के विभिन्न चरणों में हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 (अक्टूबर 2024 तक) के दौरान, भारतीय रेल में 451 अदद ऊपरी/निचले सड़क पुलों का निर्माण किया गया है।

2014-24 के दौरान, उत्तराखंड राज्य में 70 अदद ऊपरी/निचले सड़क पुलों का निर्माण किया गया था। 01.04.2024 की स्थिति के अनुसार, उत्तराखंड राज्य में ₹167 करोड़ की लागत से ऊपरी/निचले सड़क पुलों के 11 अदद कार्य स्वीकृत किए गए हैं। चालू वित्त वर्ष 2024-25 (अक्टूबर 2024 तक) के दौरान, उत्तराखंड राज्य में 30 अदद ऊपरी/निचले सड़क पुलों का निर्माण किया गया है।

रेलवे ने ऊपरी/निचले सड़क पुलों के निर्माण कार्यों की प्रगति की गति को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं:

(i) सामान्य व्यवस्था आरेखण (जीएडी) को अंतिम रूप देने से पहले संबंधित राज्य सरकार/सड़क स्वामित्व प्राधिकरण के साथ संयुक्त सर्वेक्षण किया जाता है ताकि कार्य निष्पादन सुचारु रूप से किया जा सके।

(ii) ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुलों के निर्माण कार्यों से संबंधित विभिन्न मामलों को हल करने के लिए रेलवे एवं राज्य सरकार के अधिकारियों की आवधिक बैठकें की जाती हैं।

(iii) डिजाइन अनुमोदन के दौरान विलंब से बचने के लिए विभिन्न प्रकार के स्पैन, पुलों के मोड़ और रेलवे के हिस्से वाले मार्ग पर सड़क की चौड़ाई के लिए अधिसंरचना रेखाचित्रों का मानकीकरण किया गया है। इसे सार-संग्रह के रूप में जारी किया गया है, जिसे रेलवे लाइनों के पास ऊपरी सड़क पुल के निर्माण के लिए शीघ्र योजना निर्माण हेतु सीधे अपनाया जा सकता है।

(iv) जहां कहीं संभव हो, रेलवे द्वारा ऊपरी सड़क पुल/निचले सड़क पुल के निर्माण कार्यों को एकल इकाई आधार पर निष्पादित करने की योजना बनाई गई है। यदि

कोई सड़क स्वामित्व प्राधिकरण/राज्य सरकार चाहे है तो रेलवे उन्हें एकल इकाई के आधार पर कार्य निष्पादन की अनुमति दे सकती है।

इसके अलावा, रेलवे द्वारा सबवे में जलभराव की समस्या को कम करने के लिए कई उपचारात्मक उपाय किए गए हैं। जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था को नए निचले सड़क पुलों/सबवे की योजना का अभिन्न अंग बनाया गया है। व्यवहार्यता, उपयुक्तता और साइट की आवश्यकताओं के अनुसार मौजूदा निचले सड़क पुलों/सब-वे में पानी के बहाव को नजदीकी पुलों और नालों में मोड़ा गया है, पहुँच सड़कों पर कवर शेड की व्यवस्था, निचले सड़क पुलों के मुहानों पर उभार बनाने, क्रॉस ड्रेन की व्यवस्था, ज्वाइंट्स की सीलिंग करने जैसे उपचारात्मक उपाय किए गए हैं। इसके अलावा, चिह्नित निचले सड़क पुलों में पंपिंग की व्यवस्था भी की गई है ताकि आपातकालीन स्थिति में जल की शीघ्र निकासी की जा सके और सड़क उपयोगकर्ताओं की संरक्षा के लिए असाधारण/असामान्य वर्षा की स्थिति में सड़क यातायात को रोकने के प्रावधान किए गए हैं।

******

S.K